भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3331

12.07.2019 को उत्तर के लिए

खतरे की रेखा का सीमांकन

3331. श्रीमती कनिमोझी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2018 के अन्तर्गत तटीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्थापनाओं को अनुमति प्रदान करके खतरे की रेखा के सीमांकन को अनदेखा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीआरजेड अधिसूचना 2018 में मछुआरा समुदाय हेतु उपलब्ध पर्यावरण सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) जी नहीं। दिनांक 18.01.2019 के सा.का.नि. 37(ई) के माध्यम से जारी किए गए तटीय विनियमन जोन अधिसूचना से खतरे की रेखा को हटाया नहीं गया है। खतरे की रेखा लंबी समयावधि अर्थात् 100 वर्षों से अधिक समय में समुद्र के स्तर में हुई वृद्धि और तट रेखा में हुए परिवर्तनों के प्रभाव का अनुमान है और उसका उपयोग संबंधित राज्य एजेंसियों द्वारा अनुकूलन और उपशमन के उपायों की योजना तैयार करने सहित तटीय पर्यावरण के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक साधन के रूप में किया जाना अपेक्षित है। देश के संपूर्ण तट क्षेत्र के लिए खतरे की रेखा का मानचित्र तैयार किया गया है और सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार उसे संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तटीय सुरक्षा के उपायों के लिए दिशानिर्देशों सहित तटीय संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय कार्य नीति तैयार की गई है। भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में 10 तटीय राज्यों में चरण-II में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन की मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य मछुआरा समुदायों सहित समुदाय की भागीदारी के माध्यम से इन राज्यों में पड़ने वाली चयनित तट रेखा के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना तैयार करना, क्षमता निर्माण और तटीय प्रबंधन के क्षेत्र में संस्थागत विकास करना है। सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के तहत कुछ शर्तों के अधीन समुद्र तटाग्र में ज्वार रेखा से 100 और 200 मीटर के बीच भी मछुआरा समुदाय सहित पारंपरिक तटीय समुदायों के घरों के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। सीआरजेड, अधिसूचना, 2011 के अधिक्रमण में दिनांक 18.01.2019 को जारी नए सीआरजेड विनियमों में सीआरजेड-III क्षेत्रों में एनडीजेड के अंदर मछुआरा समुदाय सहित पारंपरिक तटीय समुदायों के घरों के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, नए विनियमों में मछुआरा सहित स्थानीय समुदायों को मौजूदा मकानों के आधार क्षेत्र या डिजाइन या अग्रभाग में परिवर्तन किए बिना ''होम स्टे'' के माध्यम से पर्यटन में सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है।

*****